न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–1471 / 2026

विकास कुमार राय बनाम् बिहार सरकार

हाजीपुर सदर थाना कांड संख्या–237 / 2026

अंतर्गत धारा– 8(c), 21(b), 25, 29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट।

13-07-2026 हाजीपुर सदर थाना कांड सं0–237 / 2026, एन0डी0पी0एस0 एक्ट की धारा–8(c), 21(b), 25, 29 में गिरफ्तारी की आशंका से आवेदक **विकास कुमार राय उम्र–36 वर्ष पेसर–लक्ष्मण राय** साकिन–धोधली, थाना–बिदुपुर, जिला–वैशाली के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता **श्री कृष्ण कुमार सिंह** एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक **श्री सुमित कुमार** को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

जमानत आवेदन की कण्डिका 02 में उल्लिखित है कि आवेदक के तरफ से पूर्व में अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन का कथानक यह है कि, दिनांक–13.04.2026 को समय 05.05 बजे सुबह में सूचक सशस्त्र बल के साथ पुलिस वाहन अर्टिगा रजिस्ट्रेशन नंबर–बी0 आर0–01 पी0एम0–1048 से प्रातः कालीन गश्ती में थाना से प्रस्थान किया। गस्ती के क्रम में जब महुआ मोड़ पर था तभी श्रीमान् के द्वारा समय 08.30 बजे सुबह में उसे निर्देशित किया गया कि एसटीएफ पटना की टीम को गुप्त सूचना मिली है कि सदर थाना अंतर्गत वास्तु विहार कॉलोनी फेज 01 में मो० सेराज आलम किराए के मकान में रहकर मादक पदार्थ (स्मैक) का कारोबार करता है। अभी तुरंत छापामारी करने पर उक्त मादक पदार्थ कारोबारी को रंगे हाथों पकड़ा जा सकता है। एसटीएफ की टीम भी वास्तु विहार कॉलोनी के पास पहुंची। साथ ही श्रीमान् के द्वारा एसटीएफ की टीम के साथ मिलकर छापामारी करने का निर्देश दिया गया। प्राप्त निर्देश के आलोक में सूचक तलाशी एवं अन्य विधिसम्मत कार्रवाई हेतु मजिस्ट्रेट को प्रतिनियुक्त करने का अनुरोध करते हुए गश्ती दल के साथ समय करीब 08. 45 बजे वास्तु विहार कॉलोनी के पास पहुंचा जहां पूर्व से एसटीएफ की पांच सदस्यीय टीम पहुंची हुई थी। इसी बीच सूचना मिलने पर सदर थाना के पुलिस पदाधिकारी पु०अ०नि० अमरदीप कुमार, पु०अ०नि० किशोर कुणाल पांडे भी उक्त जगह पर पहुंचे। मिले गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ के साथ मिलकर वास्तु विहार कॉलोनी फेज नंबर वन में स्थित अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट नंबर डी–03 की घेराबंदी कर विधिवत छापामारी प्रारंभ किया। इसी क्रम में समय 09.55 बजे कृषि समन्वयक हाजीपुर श्री संजय कुमार मजिस्ट्रेट के रूप में उक्त फ्लैट पर पहुंचे। तत्पश्चात उक्त फ्लैट की तलाशी लेने हेतु आसपास के दो स्वतंत्र साक्षियों की खोजबीन की गई। किसी के तैयार नहीं होने पर छापामारी दल में शामिल

Web Copy not Official

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–1471 / 2026

विकास कुमार राय बनाम् बिहार सरकार

लगातार

13.07.2026 पु०अ०नि० अमरदीप कुमार एवं पु०अ०नि० किशोर कुणाल पांडे को स्वतंत्र साक्षी मानते हुए विधिवत तलाशी प्रारंभ किया गया तथा उक्त फ्लैट नंबर डी–03 को खुलवाया गया। उक्त फ्लैट में मौजूद एक व्यक्ति ने नाम पूछने पर अपना नाम मो० सेराज आलम बताया। सूचक द्वारा पकड़ाए मो० सेराज को यह बताया गया कि उसे पक्की सूचना है कि उसके पास मादक पदार्थ स्मैक है जिसे वह चोरी छुपे बेचते हैं। उसके बाद तलाशी नियमों का पालन करते हुए पकड़ाए मो० सेराज के बदन की तलाशी ली गई तो उसके पास से कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। पुनः उक्त फ्लैट की तलाशी ली गई तो तलाशी के कम में उक्त फ्लैट नंबर डी–03 में मो0 सेराज के पलंग पर रखे एक काला रंग का एच0पी0 लिखा बैंग से एक कत्थक रंग का प्लास्टिक का साबुनदानी जैसा डिब्बा मिला। जिसे खोलने पर उसमें रखे एक उजला रंग का प्लास्टिक पन्नी में भरा हुआ मादक पदार्थ स्मैक बरामद हुआ। तत्पश्चात अपने साथ लाए डिजिटल तराजू से बरामद स्मैक जैसा मादक पदार्थ प्लास्टिक साबुनदानी सहित वजन 36 ग्राम तथा सिर्फ प्लास्टिक में भरा हुआ स्मैक जैसा मादक पदार्थ का वजन करने पर कुल वजन 11 ग्राम पाया। साथ ही एक OPPO कंपनी का मोबाईल जिसमें जियो कंपनी का सिम 7091970465 एवं 9263467450 लगा हुआ बरामद हुआ। उसके बाद बरामद स्मैक जैसा मादक पदार्थ का विधिवत जप्ती सूची बनाकर समय 10. 50 बजे जप्त एवं सीलबंद किया तथा सीलबंद प्रदर्श पर मार्क A चिन्हित किया। पकड़ाए मो० सेराज से बरामद स्मैक जैसा मादक पदार्थ संबंध में पूछताछ करने पर बताया कि वह और उसका साथी विकास कुमार जिसका मोबाईल नंबर–6203028972 है के साथ मिलकर स्मैक का कारोबार करते हैं तथा कभी वह तो कभी विकास पश्चिम बंगाल में अलीपुर से स्मैक खरीद कर लाते हैं और यहां छोटे–छोटे प्लास्टिक डिब्बी में पैक कर घूम घूम कर वे दोनों बेचते हैं। आज भी थोड़ी देर बाद वह विकास को ही स्मैक की खेप पहुंचने वाले थे। इस धंधा में विकास राय का पूंजी लगा हुआ है। उसके बाद पकड़ाए मो० सेराज को समय 11.15 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार मो० सेराज एवं जप्ती सूची अनुसार जप्त प्रदर्श को लेकर छापामारी दल के साथ थाना के लिए प्रस्थान किया।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता **श्री कृष्ण कुमार सिंह** का कथन है कि, आवेदक निर्दोष है उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसे इस मामला में झुठा फसाया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदक के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है और घटनास्थल से गिरफ्तार अभियुक्त मो0

Web Copy not Official

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–1471 / 2026

विकास कुमार राय बनाम् बिहार सरकार

लगातार

13.07.2026 सेराज से कोई सरोकार नहीं है। निवेदित है, आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त किया जाय।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक आवेदक के अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते है।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन, मूल अभिलेख सहित कांड दैनिकी एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि, आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है जिसका नाम घटनास्थल से गिरफ्तार अभियुक्त मो0 सेराज द्वारा लिया गया है और फ्लैट नंबर डी–03 मो0 सेराज के पलंग पर रखे एक काला रंग का एच0पी0 लिखा बैंग से एक कत्थक रंग का प्लास्टिक का साबुनदानी जैसा डिब्बा जिसे खोलने पर उसमें रखे एक उजला रंग का प्लास्टिक पन्नी में भरा हुआ मादक पदार्थ स्मैक बरामद हुआ है जिसे डिजिटल तराजू से बरामद स्मैक जैसा मादक पदार्थ प्लास्टिक साबुनदानी सहित वजन 36 ग्राम तथा सिर्फ प्लास्टिक में भरा हुआ स्मैक जैसा मादक पदार्थ का वजन करने पर कुल वजन 11 ग्राम एवं एक OPPO कंपनी का मोबाईल जिसमें जियो कंपनी का सिम 7091970465 एवं 9263467450 लगा हुआ बरामद हुआ है।

अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि बरामद हेरोइन की मात्रा प्लास्टिक साबुनदानी सहित वजन 36 ग्राम तथा सिर्फ प्लास्टिक में भरा हुआ स्मैक जैसा मादक पदार्थ कुल वजन 11 ग्राम है। हेरोइन की अल्प मात्रा 05 ग्राम है तथा वाणिज्यिक मात्रा 250 ग्राम है।

प्राथमिकी के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि घटनास्थल से गिरफ्तार इस मामले के सह अभियुक्त मो0 सेराज द्वारा स्वयं इस बात को स्वीकार किया गया है कि वह और उसका साथी विकास कुमार (आवेदक) जिसका मोबाईल नंबर–6203028972 है के साथ मिलकर स्मैक का कारोबार करते हैं तथा कभी वह तो कभी विकास पश्चिम बंगाल में अलीपुर से स्मैक खरीद कर लाते हैं और यहां छोटे–छोटे प्लास्टिक डिब्बी में पैक कर घूम घूम कर वे दोनों बेचते हैं। आज भी थोड़ी देर बाद वह विकास को ही स्मैक की खेप पहुंचने वाले थे। इस धंधा में विकास राय (आवेदक) का पूंजी लगा हुआ है। प्राथमिकी में उल्लिखित तथ्यों को समर्थन कांड दैनिकी की कंडिका 04, 05, 06, 07, 08 एवं 09 में अंकित बयान में साक्षियों द्वारा किया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 15 में मो0 सेराज का संस्वीकारोक्ति बयान अंकित है जिसमें भी उसने अपनी तथा आवेदक सहित अन्य

Web Copy not official

न्यायालयः प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या–1471 / 2026

विकास कुमार राय बनाम् बिहार सरकार

लगातार

13.07.2026 अभियुक्त का नाम लेते हुए प्राथमिकी में उल्लिखित तथ्य का समर्थन किया है। कांड दैनिकी की कंडिका 18 से विदित होता है कि आवेदक सहित अन्य अभियुक्त के विरूद्व उक्त कांड धारा–8(सी), 21(बी), 25, 29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अंतर्गत सत्य पाया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 36 से विदित होता है कि आवेदक एवं अन्य के विरूद्व पूरक अनुसंधान जारी रखते हुए इस मामले के सह अभियुक्त मो0 सेराज के विरूद्ध धारा–8(सी), 21(बी), 25, 29 एन0डी0पी0एस0 एक्ट के अंतर्गत आरोप–पत्र समर्पित किया गया है।

अतः मामले के तथ्यों, उभय पक्षों के तर्कों तथा आवेदक पर लगाये गये आरोप की प्रकृति को देखते हुये आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त नामित आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web Copy not official